न्यायालय कलेक्टर जिला सागर (म0प्र0)

क्रमांक/8697/री.कले./17

सागर दिनांक२२.07.17

:: संशोधित आदेश ::

इस न्यायालय के आदेश क्रमांक–8495/री.कले./17 सागर दिनांक 10.07.17 के अनुसार :–

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	विस्थापित ग्राम की निजी भूमि का रकवा (हे.में)	विस्थापित ग्राम की राजस्व भूमि का रकवा (हे.में.)
01	02	03	04	05	06
01	पीपला	71	देवरी	98.210	96.290
02	रमपुरा(मड़ाज)	71	देवरी	31.240	176.220
03	कुशयारी	72	देवरी	70.070	94.370
04	नौरादेही	73	देवरी	45.980	70.695
				कुल योग–	437.575

उक्त ग्रामों की भूमि का अधिपत्य राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने से उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी गयी थी।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–एक सागर द्वारा पत्र क्रमांक–2107/कार्य./कोपरा/मध्यम परि./2017–18 सागर दिनांक 20.07.17 के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि आदेश दिनांक 10.07.17 द्वारा नौरादेही अभ्यारण्य के मध्य विस्थापित राजस्व ग्रामों की 437.575 हे. भूमि को वन विभाग को सौंपा गया है।

विस्थापन के परिणाम स्वरूप वन विभाग के आधिपत्य में सौंपी गई, उक्तानुसार 437.575 हे. शासकीय राजस्व भूमि का प्रयोजन कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अभिलेखित करने का संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। जिससे कोपरा मध्यम परियोजना के निर्माणार्थ आवश्यक नौरादेही अभ्यारण्य की भूमि का उपयोग हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अतः इस न्यायालय के आदेश क्रमांक–8495/री.कले./17 सागर दिनांक 10.07.17 में संशोधन करते हुए ऊपर वर्णित 437.575 हे. भूमि वन विभाग के पक्ष में नामांतरित करने की स्वीकृति दी जाती है यह भूमि कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लायी जाने हेतु आरक्षित की जाती है।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ.क्रमांक/8697/री.कले./17

सागर दिनांक२२.07.17

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर
2. मुख्य अभियंता धसान केन कछार जल संसाधन विभाग सागर
3. वन मंडल अधिकारी नौरादेही (व.प्रा.) वन मंडल सागर
4. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल सागर
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–एक सागर
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार देवरी जिला सागर को आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर